

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
कर्मयोगी भवन, सैक्टर-10 ए, चतुर्थ तल, ब्लॉक-2,  
गांधीनगर, गुजरात-382 010



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of Mines  
Karmyogi Bhawan, 4th Floor, Block-2, Sector 10-A,  
Gandhinagar (Gujarat)-382010

ईमेल: gandhinagar.ibm@gmail.com Mine Code-38GUJ21041 Date-26/12/2017

मिसिल संख्या : GUJ/POR/LST-182

प्रेषित : M/s Tata Chemicals Ltd.

Bombay House 24, Homi Mody Street,  
Fort Mumbai-Maharashtra-400 001

विषय:- गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले, कुटियाना तालुका, ईश्वरीय गाँव में स्थित आपकी चुना पत्थर खदान, सर्वे नंबर 437 P, क्षेत्रफल 3.4 हेक्टर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन होने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त खदान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षर द्वारा दिनांक 11/8/2017 FN को आपके खान के प्रीतिनिधि श्री सी० एम० द्विवेदी की उपस्थिति में किया गया था तथा खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है । तथा उल्लंघन पत्र इस कार्यालय द्वारा दिनांक 18/9/2017 को जारी किया गया था ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यूरो
Rule 11(1)	<b>No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines.</b> <i>In your case, It was observed during inspection that Mining Operations were being carried out within 7.5m of statutory barrier and/or outside the lease in surrounding sides where no proposal was made in approved mining plan/scheme of mining. Further excavated ROM production in past seems to be more than reported.</i>

02. Your reply furnished vide letter No.RQG/377-A/2017-18 dated 06/10/2017 received in this office on 27/11/2017 was duly considered & violation of rules 45(5)(b) & 45(5)(c),26(2) & 33 have been taken as complied but violation of rule 11(1) not found satisfactory.

03. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है तथा इस नियम के उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11 (2) के अंतर्गत खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप इस पत्र के जारी होने की तिथि से **30 दिन** के भीतर उपरोक्त नियमों के उल्लंघन की अनुपालना इस कार्यालय में दर्ज करावें ।

भवदीय

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर

पहले 1 प्रति पर नहीं है।

01. खान नियंत्रक(उ.आ.), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
02. आयुक्त, भूविज्ञान एवं खनन विभाग/निदेशालय, गांधीनगर, गुजरात को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । यह पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर के अनुमोदन के बाद ही जारी किया जा रहा है।
03. रक्षित पत्रावली ।

(जी. राम)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक,  
भारतीय खान ब्यूरो, गांधीनगर